रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102020-222635 CG-DL-E-22102020-222635

असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446] No. 446] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 21, 2020/ आश्विन 29, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2020/ASVINA 29, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसुचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2020

एफ. सं. मानक/एगमार्क-बीआईएस/02/एफएसएसएआई-2018.—खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2019 के प्रारूप को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) की अधिसूचना फाइल सं. मानक/एगमार्क-बीआईएस/एफएसएसएआई-2018, तारीख 8 मार्च, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित की गयी थी जिसमें उन व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थी, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 20 मार्च 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया था;

5074 GI/2020 (1)

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है. अर्थात:-

विनियम

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) द्वितीय संशोधन विनियम, 2020 है।
 - (2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।
- 2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 में, विनियम 2.3 के, उपविनियम 2.3.2, 2.3.9 और उपविनियम 2.3.10 का लोप किया जाएगा.

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[सं. विज्ञापन-III/4/असा./307/2020-21]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या एफ.सं.2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती निम्न अधिसुचना संख्याकों द्वारा संशोधित किए गए:-

- (i) फा0 सं0 4/15015/30/2011, दिनांक 8 फरवरी, 2013;
- (ii) फा0 सं0 स्टैंडर्ड्स/ओ एंड एफ/अधिसूचना(2)/एफ.एस.एस.ए.आई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016;
- (iii) फा0 सं0 स्टैंडर्ड्स/एफ एंड वी.पी/अधिसूचना(02)/ एफ.एस.एस.ए.आई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016;
- (iv) फा0 सं0 स्टैंडर्ड्स/ओ एंड एफ/अधिसूचना (8)/एफ/ एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 31 जुलाई, 2018;
- (v) फा0 सं0 स्टैंडर्ड्स/सहयोज्य-2/अधिसूचना/ एफ.एस.एस.ए.आई/2018, तारीख 25 जून, 2019;
- (vi) फा0 सं0 स्टैंडर्ड्स/साल्ट/विविध/01/ एफ.एस.एस.ए.आई-2016(भाग 1), तारीख 25 जून, 2019 और
- (vii) फा0 सं0 स्टैंडर्ड्स/एडीटिव-03/अधिसूचना/एफएसएसआई/2018, तारीख 21 जुलाई, 2020.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2020

F. No. Stds/Agmark-BIS/02/FSSAI-2018.—Whereas the draft Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Amendment Regulations, 2019, were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Food Safety and Standards Authority of India) vide number F.No. Stds/Agmark-BIS/02/FSSAI-2018, dated the 8th March, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 20th March, 2019;

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standard Act, 2006, the Food Safety and Standards Authority of India with the previous approval of

the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011, namely:-

REGULATIONS

- 1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Second Amendment Regulations, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011, in regulation 2.3, sub-regulation 2.3.2, 2.3.9 and sub-regulation 2.3.10 shall be omitted.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer [No. ADVT.-III/4/Exty./307/2020-21]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

- (i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 8th February, 2013;
- (ii) F. No. Stds/O&F/Notification (2)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;
- (iii) F. No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;
- (iv) F. No. Stds/O&F/Notification (8)/FSSAI-2017, dated the 31st July, 2018;
- (v) F. No. Stds/Additives-2/Notification/FSSAI/2018, dated the 25 June, 2019
- (vi) F. No. Stds/Salt/Misc/01/FSSAI-2016 (pt-1), dated the 25 June, 2019 and
- (vii) F. No. stds/Additive-3/notification/FSSAI/2018, dated 21 July, 2020.